

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
05.12.2013 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 5.

परमाणु हादसों के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का दायित्व

5. श्रीमती कुसुम राय :
श्री प्रभात झा :
श्री अरविन्द कुमार सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार खराब और त्रुटिपूर्ण उपकरणों की वजह से हादसे होने की स्थिति में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं हेतु नाभिकीय दायित्व संबंधी उपबंधों में रियायत/शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) ऐसा करने के कारण और औचित्य क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
(श्री वी. नारायणसामी)

- (क) जी, नहीं।
- (ख) ऊपर (क) के मद्दे नज़र यह प्रश्न ही नहीं उठता।
